PTCUL

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
CIN:- U40101UR2004SGC028675
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
E-mail:- hr@ptcul.org
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाइट www.ptcul.org

पत्रांकः1131/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 दिनांकः04.07.2024

विषयः–"रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना" के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता
पिटकुल, देहरादून।

कृपया उपरोक्त विषयक ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या I–1/2024/03/05/2023 e-file: 22637 दिनांक 29.05.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 956/I.1/2023/03/05/2023 दिनांक 19 जून, 2023 के बिन्दु संख्या–1(i) एवं संख्या–1(ii) में विद्यमान प्रस्तर में संशोधन किया गया है।

अतः उक्त वर्णित अधिसूचना की छायाप्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त अधिसूचना को अपने अधीनस्थ कार्मिकों में प्रसारित एवं प्रचारित करवाने का कष्ट करें।

सलग्नकः–यथोपरि।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डा0ए0ऑ0–निदेशक (मा0सं0)/(वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, सूचना प्रौद्योगिकी–II, पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित अधिसूचना को पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)

/221400/2024

ES1-BDT/3/6/2022-I-1-Energy Department

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग
प0संख्या–I-1/2024/03/05/2023 e-file: 22637
देहरादून: दिनांक 29 ~~मई,~~ जून 2024

No. 1968/MD/PTCUL-Gen...Dt. 03/7/24

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद–162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एमएनआरई, भारत सरकार के आदेश सं0 318, दिनांक 16.03.2024 के कम में ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0–956/I-1/2023/03/05/2023, दिनांक 19 जून, 2023 के बिन्दु संख्या–1(i) एवं सं0–1(ii) में स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान प्रस्तर के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये प्रस्तर की सीमा तक प्रतिस्थापित/संशोधित किये जाने जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रस्तर ।	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर
1(i) राज्य के निवासियों हेतु प्रस्तावित की गयी, "रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना" अन्तर्गत 01 से 10 कि0वा0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट संयंत्र स्थापित किये जा सकते है।	1(i) राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा संचालित "पीएम–सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना" के अनुसार सोलर पावर प्लान्ट स्थापित किये जा सकते है।
1(ii) राज्य योजना हेतु सम्पूर्ण राज्य के विभिन्न घरेलू उपभोक्ताओं जिनके द्वारा एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा संचालित "ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना" के अन्तर्गत एमएनआरई, भारत सरकार के नेशनल पोर्टल https://solarrooftop.gov.inपर आवेदन किया गया हो एवं संयत्र स्थापना उपरान्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत/निर्गत की जा चुकी हो, पात्र होगें। एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप एण्ड स्मॉल सोलर पावर प्लान्ट योजना" हेतु नेशनल पोर्टल निम्नानुसार अनुदान/केन्द्रीय वित्तीय सहायता अनुमन्य है :–	1(ii) सम्पूर्ण राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ता जिनके द्वारा एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित "ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना" एवं दिनांक 13.02.2024 को या इसके उपरान्त "पीएम–सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना" के अन्तर्गत पोर्टल पर आवेदन कर संयंत्र की स्थापना उपरान्त केन्द्रीय वित्तीय अनुदान प्राप्त किया जा चुका है, पात्र होगें। "पीएम–सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना" हेतु निम्नानुसार केन्द्रीय वित्तीय सहायता अनुमन्य है :–

स्तम्भ–1:

क0सं0	क्षमता	केन्द्रांश के रूप में अनुदान धनराशि (रू0)
1	For first 3KW	Rs. 17662/KW

स्तम्भ–2:

क0सं0	क्षमता	केन्द्रीय वित्तीय सहायता (CFA)
1	Rooftop Solar Plant of capacity up to 2kw in residential household	Rs. 30000/per KW or part thereof
2	Additional capacity for plant	Rs. 18000 for additional kw or part thereof

HR/Admin./PTCUL/D.Dun
Diary No. 1156
File........
Date 03/07/24

/2024

				capacity ranging between 2kw and 3 kw	
2	For RTS capacity beyond 3kw and upto 10kw	Rs. 8831/KW	3	Additional capacity beyond 3kw	No additional CFA

2— अधिसूचना सं0—956 / I-1 / 2023 / 03 / 05 / 2023 दिनांक 19 जून, 2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

Signed by R. Meenakshi Sundaram
Date: 29-06-2024 10:47:54

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव—मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
1. स्टाफ आफिसर—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, उरेडा, उत्तराखण्ड, देहरादून को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक एवं आयुक्त, उद्योग / निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
10. प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0 / पिटकुल / उपाकालि, देहरादून।
11. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. मीडिया सेन्टर, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 मैखुरी)
अनुसचिव।